


200



समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R. 553-11/13

1. रमेश राय तनय श्री पंचम राय
सभी निवासी- ग्राम पुरैनिया तह.
पलेरा, जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....आवेदक

// विरुद्ध //

1. इमरत तनय तुलसी सौर
निवासी-ग्राम रामनगर बुजुर्ग तह.
पलेरा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक. 9/पुनर्विलोकन/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पारित आदेश के प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी दर्ज थी जो भू.संहिता की धारा-165 के तहत प्रतिबंधित होने से उसने श्रीमान् तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ से वर्ष 2011 में भूमि विक्रय की अनुमति प्राप्त कर विधिवत् शासन की गाइड लाइन के अनुसार पूरा प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करे आवेदक को विक्रय की जिसने (क्रेतापक्ष) अधिपत्य प्राप्त कर विधिवत् राजस्व नामांतरण कराया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रथम पक्ष (अनावेदक) की आपत्ति के प्रश्नाधीन आदेश को वैध न मानते हुए श्रीमान् न्यायालय से पुनः अवलोकन की अनुमति लेकर पुनः सुनवाई में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दी गई भूमि विक्रय की अनुमति के आदेश एवं

2-2/13

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-553-दो/2013

जिला टीकमगढ़

रमेश विरूद्ध इमरत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 09/पुर्नविलोकन/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03-01-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

(आर.के.मैन)
सदस्य

07/3/19